

कायालय जिला कलक्टर, बारां

क्रमांक-एफ-4(5)()राजस्व/2023/

दिनांक

2023

—:: आदेश ::—

अधिशायी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, शाहवाद् द्वारा खण्ड शाहवाद् में (1.चौराखाडी से नयागांव वाया महेशपुर 2. ढिकवानी से गाडर-ईसाटोरी 3. गांजन से सुवास 4. रामगढ माताजी मंदिर परिक्रमा मार्ग की चौडाईकरण 5. शाहवाद् से राजपुर 6. भंवरगढ, नाहरगढ एगडीआर-47 पर सुदृढीकरण एवं चौडाईकरण एवं उन्नयीकरण 7. परानियां से छतरगंज राडक निर्माण कार्य कि०मी० 0/00 से 6/250) राडको के निर्माण हेतु वन विभाग की कुल 32.19 है० भूमि आने के कारण वन भूमि प्रत्यावर्तन हेतु गैर वन भूमि आवंटन की मांग करने पर तहसीलदार शाहवाद् द्वारा पटवार मण्डल सेमलीफाटक, ग्राम-रानीपुरा के आराजी ख.न. 79 रकबा 18.00 बीघा, खसरा नं. 81 रकबा 21.03 बीघा, ख.न. 16 रकबा 16.15 बीघा, ख.न. 244 रकबा 12.19 बीघा, ख.न. 187 रकबा 12.05 में से 12.00 बीघा ख.न. 232 रकबा 42.05 बीघा, ख.न. 287 रकबा 27.09 बीघा, ख.न. 33 रकबा 4.10 बीघा में से 3.09 बीघा, ख.न. 188 रकबा 21.10 बीघा किस्म गै० मु० एवं ख.न. 201 रकबा 25.14 बीघा किस्म गै० मु० पहाडी कुल किता 9 कुल रकबा 201.04 बीघा अर्थात् 32.19 है० भूमि प्रस्तावित करने पर उपखण्ड अधिकारी, शाहवाद् द्वारा उक्त भूमि वन विभाग को आवंटन किये जाने की अनुशंसा की है। जिस पर वन विभाग से उप वन संरक्षक, बारां द्वारा सहमति प्रदान की हैं।

शासन विशिष्ट सचिव, राजस्व (ग्रुप-3) विभाग, राजस्थान सरकार के पत्र क्रमांक पत्र 6(262)राज०-3/2022 दिनांक 12.01.2023 द्वारा उक्त प्रयोजनार्थ प्रस्तावित 32.19 है० राजकीय सिवायचक भूमि को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 102 के तहत वन विभाग को निशुल्क आवंटन/हस्तांतरण किये जाने की राजकीय स्वीकृति प्रदान की गई हैं।

अतः शासन विशिष्ट सचिव, राजस्व (ग्रुप-3) विभाग, राजस्थान सरकार के पत्र क्रमांक पत्र 6(262)राज०-3/2022 दिनांक 12.01.2023 से प्राप्त राजकीय स्वीकृति के क्रम में राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा की धारा 102 के तहत एवं अधिशायी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, शाहवाद् की मांग, उप वन संरक्षक, बारां की सहमति तथा उपखण्ड अधिकारी/तहसीलदार, शाहवाद् की अनुशंसा के आधार पर पटवार मण्डल सेमलीफाटक, ग्राम-रानीपुरा के आराजी ख.न. 79 रकबा 18.00 बीघा, खसरा नं. 81 रकबा 21.03 बीघा, ख.न. 16 रकबा 16.15 बीघा, ख.न. 244 रकबा 12.19 बीघा, ख.न. 187 रकबा 12.05 में से 12.00 बीघा ख.न. 232 रकबा 42.05 बीघा, ख.न. 287 रकबा 27.09 बीघा, ख.न. 33 रकबा 4.10 बीघा में से 3.09 बीघा, ख.न. 188 रकबा 21.10 बीघा किस्म गै० मु० एवं ख.न. 201 रकबा 25.14 बीघा किस्म गै० मु० पहाडी कुल किता 9 कुल रकबा 201.04 बीघा अर्थात् 32.19 है० भूमि को वन विभाग के नाम निशुल्क आवंटन/हस्तान्तरण किया जाता हैं।

नियमानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

sd
(नरेन्द्र गुप्ता)
जिला कलक्टर,
बारां

दिनांक 26.01.2023

क्रमांक-एफ-4(5)()राजस्व/2023/ 401 - 09

प्रतिलिपि:-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. शासन उप सचिव राजस्व (ग्रुप-3) विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. संभागीय आयुक्त महोदय, कोटा संभाग, कोटा।
3. उप वन संरक्षक, बारां।
4. अधीक्षण अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, बारां।
5. अधिशायी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड शाहवाद्।
6. उपखण्ड अधिकारी, शाहवाद्।
7. तहसीलदार, शाहवाद्।
8. तहसीलदार, शाहवाद् को भेजकर लेख है कि आवंटन आदेश में अंकित भूमि का दखल दिया जाकर दखलनामे की प्रति इस कार्यालय में प्रस्तुत करें तथा आवंटित भूमि का नियमानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवाये।
9. रक्षित पत्रावली।

अधिशायी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड शाहवाद्
हरि प्रसाद मीना
अधिशायी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड शाहवाद्

अतिरिक्त जिला कलक्टर,
बारां

पता : मिनी राधवल्लय, बारां (325205)
Ph. No. : (07453) 237001, 237003 (Fax) 237005

(दीपक कुमार गुप्ता)
उप वन संरक्षक

E-mail : dpgk@baranraj.gov.in
dpgk@gmail.com